

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर ए एस
अपील संख्या— एल आर ए/45/2018

उनवान

1. नारायण पुत्र श्री हीरा जाट, उम्र 45 वर्ष, निवासी रानीखेडा तहसील बनेडा,
जिला भीलवाड़ा

—अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाड़ा

—रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध जिला कलक्टर, भीलवाड़ा प्रकरण संख्या
60/2017 निर्णय दिनांक 4.12.2017 एवं नायब तहसीलदार, रायला
के प्रकरण संख्या 41/2017 निर्णय दिनांक 13.9.2017

- अभिभाषक :
1. श्री नानू लाल तेली, अधिवक्ता अपीलार्थी
 2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 30.4.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हलका रायला ने नायब तहसीलदार रायला के यहाँ एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने मौजा रायला के खसरा नम्बर 808 रकबा 0.11 ~~किस्वा~~ किस्म गैर मुमकिन सडक में से संवत् 2074 के दौरान दुकान/केबिन लगाकर अवैध कब्जा कर रखा है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय दिनांक 13.9.2017 द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को मौजा रायला के खसरा नम्बर 808 रकबा 0.11 ~~किस्वा~~ किस्म गैर मुमकिन सडक में से संवत् 2074 के दौरान दुकान/केबिन लगाकर अवैध कब्जा करने का दोषी मानते हुए विवादित आराजी से बेदखल करने तथा 22/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जो बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4.12.2017 द्वारा खारिज की गई जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक का यह तर्क है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 808 राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन सडक दर्ज होकर पी डब्ल्यू डी के नाम पर दर्ज है। लेकिन प्रकरण में पी डब्ल्यू डी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं न ही पी डब्ल्यू डी को कोई पक्षकार बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को आराजी नम्बर 808 के संबंध में अतिक्रमण बाबत कोई कार्यवाही करने का अधिकार ही नहीं है। मात्र राजनैतिक दबाव एवं पक्षपातपूर्ण तरीके से पटवारी हलका द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध गलत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। नेशनल हाईवे की पूर्वी दिशा में काफी सक्षम व्यक्तियों द्वारा भी अपने मकानों के आगे काफी लम्बी चौड़ी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है परन्तु उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलाण्ट अत्यन्त ही गरीब व्यक्ति है यदि उसे अवैध दण्डादेश से दण्डित एवं बेदखल किया जाता है तो अपीलाण्ट की आजीविका पर संकट आ जायेगा एवं उसके परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जायेगी। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे।
4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।



अपीलार्थी ने वर्तमान में वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा हटा लिया है। वर्तमान में अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

5. प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को समुचित नोटिस जारी कर और सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर पूर्णतया गौर कर जो निर्णय पारित किया है वह पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
6. हमने उभय पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को गैर मुमकिन सडक किस्म की सरकारी भूमि पर केबिन/केबिल लगाकर अतिक्रमण करने का दोषी माना है और इस दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार मेरे समक्ष नहीं है अतः दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी की ओर से निवेदन किया गया है कि उसने मौके पर से कब्जा हटा लिया है। इस संबंध में नायब तहसीलदार, रायला ने दिनांक 16.3.2018 रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का रायला द्वारा प्रस्तुत बेदखली पर्चा दिनांक 26.2.2018 प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी से अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोड़ दिया है। परन्तु जहाँ तक अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा गैर मुमकिन सडक की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने फलस्वरूप अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलार्थी का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।
7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 4.12.2017 एवं नायब तहसीलदार रायला के निर्णय दिनांक 13.9.2017 के जरिये की गई दोषसिद्धि एवं अर्थदण्ड को यथावत रखा जाता है।
8. निर्णय आज दिनांक 30.4.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



दि 30/4/18
(निमिषा गुप्ता)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्थान अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा
भीलवाड़ा